उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-15/2026/आडिट-1-05(5)/दस-2026-320(1)/2024
लखनऊ; दिनांक : 31 मई, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित निम्नलिखित अधिकारियों को तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित मण्डल/ शीर्षस्थ संस्था के रिक्त उप निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से प्रदान किया जाता है:-

क्र0सं0	**अधिकारी का नाम/पदनाम/वर्तमान तैनाती**	**अतिरिक्त प्रभार**
1	*2*	*3*
1	श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, उप निदेशक, मेरठ मण्डल।	सहारनपुर मण्डल
2	श्री अरविन्द कुमार यादव, उप निदेशक, निदेशालय, लखनऊ।	प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
3	श्री राजेश कुमार पाण्डेय, उप निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ।(लैकफेड)	उ0प्र0 को-आपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ (पी0सी0एफ0)
4	श्री शेष नाथ सिंह, उप निदेशक, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।	बस्ती मण्डल

2- सम्बन्धित अधिकारी अतिरिक्त प्रभार वाले मण्डल/शीर्षस्थ संस्था में तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

3- उक्त अतिरिक्त प्रभार के पद में निहित समस्त कर्तव्य/दायित्व सम्मिलित होंगे तथा उपरोक्त अधिकारियों को अलग से वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

जय शंकर दुबे
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करायें।
3. सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित अधिकारी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार राय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।